

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936

No. 364]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014

सं. 3-14एफ./अधिसूचना (न्यूट्रासूटिकल्स)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे :

आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, पूर्वोक्त प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, डेयरी और सदृश्य उत्पाद से संबंधित विनियम 2.1 में,--
 - (क) शिशुपोषण के लिए आहार से संबंधित उपविनियम 2.1.9 में,--
 - (i) शिशु फार्मूला से संबंधित खंड 2 में, पहले पैरे के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"उसमें क्रमश: 17 मि.ग्रा. प्रति 100 के.कैल (डाकसैहेग्साइनइक अम्ल की कुल वसीय अम्लों का 0.3 प्रतिशत के समतुल्य) के स्तर पर क्रिप्थोडियम कोहनी और मार्टिएल्ला एल्पाइन से डाकसैहेग्साइनाइक अम्ल (ए.आर.ए.) के स्रोत के रूप शैवाल और फंगल तेल अंतर्विष्ट होगा।";

- (ii) फालो-अप फार्मूला से संबंधित खंड 5 में, पहले पैरे के पश्चात्, निम्निलखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"उसमें क्रमश: 17 मि.ग्रा. प्रति 100 के.कैल (डाकसैहेग्साइनइक अम्ल की कुल वसीय अम्लों का 0.3 प्रतिशत के समतुल्य) के स्तर
 पर क्रिप्थोडियम कोहनी और मार्टिएल्ला एल्पाइन से डाकसैहेग्साइनाइक अम्ल (ए.आर.ए.) के स्रोत के रूप शैवाल और फंगल
 तेल अंतर्विष्ट होगा।"।
- 3. उक्त विनियमों में, खाद्य योज्यकों से संबंधित विनियम 3.1 में,--
- (I) कृत्रिम मधुकारक से संबंधित उपविनियम 3.1.3 के कृत्रिम मधुकारकों का प्रयोग और विक्रय से संबंधित पैरा (1) में,--
 - (क) "विनियम 2.4.5 (24, 25, 26, 27, 28 और 29)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "विनियम 2.4.5 (24, 25, 26, 27, 28, 29 और 50)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
 - (ख) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

1	2	3	4
"6	आईसोमाल्टोस	कन्फैक्शनरी उत्पाद'	उत्पाद की उपयुक्तता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बगैर कुल चीनी का 50 प्रतिशत (अधिकतम)।";

*कन्फैक्शनरी उत्पादों में आइस लाली या खाने योग्य बर्फ सम्मिलित नहीं है।

- (II) उपविनियम 3.1.6 में, विभिन्न खाद्य पदार्थों में, कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोस के उपयोग से संबंधित खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(13) विभिन्न खाद्य पदार्थों में आहारी रेशे (डेक्स्ट्रीन घुलनशील रेशे) का उपयोग

आहारी रेशे (डेक्स्ट्रीन घुलनशील रेशे) निम्निलिखित खाद्य उत्पादों में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) तक वर्णित स्तर तक उपयोग किया जा सकेगा और उस पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबिलेंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (51) में यथा उपबंधित लेबल घोषणा होगी और संघटकों (गेंहू/मक्का) का स्रोत को गैर जनरिक रूप से उपांतरित किया जाना चाहिए।

	311623	
क्रम सं.	खाद्य वस्तुएं	न्यूनतम स्तर (आहारी रेशों का स्रोत)
(1)	(2)	(3)
1	पपड़ी और खाने के लिए तैयार अनाजयुक्त सुखा नाश्ता	3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल
2	नूडल्स और पास्ता	3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल
3	सेलड ड्रेसिंग या टापिंग और स्प्रेड	3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल
4	फिलर और कैरियर के रूप में टेबल टाप फाइबर और अनाज	3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल
5	अन्य स्नैक फूड या नमकीन	3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल
6	बेकरी उत्पाद, जिसके अंतर्गत बिस्कुट, कुकीज, ब्रेड, मिश्रित केक और पेस्ट्रिज भी हैं।	3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल

परंतु यदि उपरोक्त उत्पादों में आहारी रेशों के उच्च स्रोत के दावे को उपदर्शित किया गया है तो ऐसे उत्पादों में 3 ग्रा./100 ग्रा. या 1.5 ग्रा./100 के.कैल के सबसे अन्युन और 6 ग्रा./100 ग्रा. या 3 ग्रा./100 के.कैल से अनधिक अंतर्विष्ट होगा ।"।

4. उक्त विनियमों के खाद्य योज्यकों की सूची से संबंधित परिशिष्ट क की सारणी 2 की क्रम सं. ङ में सुक्रोलोस और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित मद सं. 4 के पश्चात्, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियों अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"5	आइसो- माल्टोस	-	-	-	-	-	उत्पाद के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुल चीनी का अधिकतम 50	उत्पाद के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुल चीनी का अधिकतम 50	उत्पाद के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुल चीनी का अधिकतम 50	-3	उत्पाद के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुल चीनी का अधिकतम 50
							प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत		प्रतिशत''

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 187ओ / 14 / (226)]



टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :

- (i) फा.सं. पी-15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.एस.ए.आई, तारीख 27 जून, 2013।
- (ii) फा.सं. 5-15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2014

No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with sub-section (2) of Section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110 002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above, shall be considered by the aforesaid Authority.

Draft Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011(hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2.1 relating to dairy products and analogues,-
 - (a) in sub-regulation 2.1.9 relating to foods for infant nutrition,—
 - (i) in clause 2 relating to infant formula, after the first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:—
 - "It may contain algal and fungal oil as sources of Docosahexaenoic Acid (DHA) and Arachidonic Acid (ARA) from *Crypthecodium cohnii* and *Mortiella alpine*, respectively at the level of 17mg per 100 Kcal (equivalent to 0.3 per cent. of total fatty acids of DHA) and ARA as ratio of ARA:DHA as 2:1.";
 - (ii) in clause 5 relating to follow-up formula-Complementary food, after the first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:—
 - "It may contain algal and fungal oil as sources of Docosahexaenoic Acid (DHA) and Arachidonic Acid (ARA) from *Crypthecodium cohnii* and *Mortiella alpine* respectively at the level of 17mg per 100 Kcal (equivalent to 0.3 per cent of Total Fatty acids of DHA) and ARA as ratio of ARA: DHA as 2:1."
- 3. In the said regulations, in regulation 3.1 relating to Food Additives,
 - (I) in sub-regulation 3.1.3 relating to artificial sweeteners, in paragraph (1) relating to use and sale of artificial sweeteners,—
 - (a) for the words, figures and brackets "the regulation 2.4.5 (24, 25, 26, 27, 28 & 29)", the words, figures and brackets "the regulation 2.4.5 (24, 25, 26, 27, 28, 29 and 50)" shall be substituted;
 - (b) in the table after serial number V and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
"VI	Isomaltulose	Confectionery products*	50 per cent (max) of the total sugar with
			adversely affecting the stability of the product.";

*Confectionery products does not include ice lollies or edible ices.

- (II) in sub regulation 3.1.6, after clause (12) relating to use of Carboxymethyl Cellulose in various foods, the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(13) Use of Dietary Fibre (Dextrin-soluble fibre) in various foods

Dietary Fibre (Dextrin) may be used in the following food products in the level mentioned in column (3) of the table given below and shall bear the label declaration as provided in the regulation 2.4.5 (51) of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, and the source of the ingredients (wheat/maize) should be non-genetically modified (GM).

Sl. No.	Article of food	Minimum Level (Source of dietary fibre)
(1)	(2)	(3)
1	Flakes and ready to eat dry breakfast cereals	3g/100g or 1.5 g/100kcal
2	Noodles and pasta	3g/100g or 1.5 g/100kcal
3	Salad dressing or toppings and spreads	3g/100g or 1.5 g/100kcal
4	Table top fibre as filler or carrier and cereals	3g/100g or 1.5 g/100kcal
5	Other snack food or savouries	3g/100g or 1.5 g/100kcal
6	Bakery products including biscuit, cookies, bread, cakes mix and pastries	3g/100g or 1.5 g/100kcal

Provided that if in above products it is intended to make claims on high Source of dietary fibre, such products shall contain not less than 3g/100g or 1.5g/100Kcal and not more than 6g/100g or 3g/100Kcal.".

4. In said regulations, in Appendix A relating to list of food additives, in Table 2, in serial number E, after item number 4 relating to Sucralose and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	. 11	12
"5	Isomaltulose	-	-	<u>-</u>	-		50 per cent max of the total sugar without adversely affecting the stability of the product.	50 per cent max of the total sugar without adversely affecting the stability of the product.	50 per cent max of the total sugar without adversely affecting the stability of the product.		50 per cent max of the total sugar without adversely affecting the stability of the product".

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./1870/14/(226)]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notifications numbers.

- (i) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (ii) F.No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014

सं. 3-14पी/अधिसूचना (न्यूट्रासूटिकल्स)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का निम्निलखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ;

आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, पूर्वोक्त प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विशिष्ट अपेक्षाएं/लेबल लगाने की रीति पर निर्बंधन से संबंधित विनियम 2.4 के उपविनियम 2.4.5 में, खंड (49) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--
 - "(50) खाद्य उत्पाद के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें आइसोमाल्टोस अंतर्विष्ट है, निम्नलिखित घोषणाएं होंगी, अर्थात् :--

आइसोमाल्टोस(कैलोरी) अंतर्विष्ट हैं।

(51) नमकीन और खाने के लिए तैयार खाद्यान्नों वाले सूखा नाश्ते, नूडल्स, पास्ता, सेलड ड्रेसिंग या टापिंग और स्प्रेड ; फिलर या कैरियर के रूप में टेबल टाप फाइबर, अनाज और अन्य खाद्य स्नैक्स या मसालेदार नमकीन और बेकरी उत्पाद, जिसके अंतर्गत बिस्कुट, कुकीज, ब्रेड, मिश्रण केक और पेस्ट्री, जिसमें डायटरी फाइबर (डेक्सट्रीन घुलनशील रेशे हैं) सम्मिलित हैं, के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित घोषणाएं होंगी, अर्थातु :--

डायटरी फाइबर (डेक्सट्रीन)(घुलनशील डायटरी फाइबर का स्रोत) अंतर्विष्ट हैं ।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187ओ/14/(226)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 2-15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2014

No. 3-14P/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with sub-section (1) of Section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110 002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above, shall be considered by the aforesaid Authority.

Draft Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and labelling) (Amendment) Regulations, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2.4 relating to specific requirement/restriction on manner of labelling, in sub regulation 2.4.5, after sub-clause (49), the following shall be inserted, namely:—
 - "(50) Every package of food product containing Isomaltulose shall bear the following declarations, namely:—

Contains Isomaltulose----(calories)

(51) Every Package of flakes and ready to eat dry breakfast cereals, noodles, pasta, salad dressings/toppings and spreads; table top fibre as filler or carrier, cereals and other snack food/savouries and bakery products including biscuits, cookies, bread, cake mix and pastries containing added Dietary Fibre (Dextrin-soluble fibre) shall bear the following declarations, namely:—

Contains Dietary Fibre (Dextrin)---- (Source of soluble Dietary fibre)

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./1870/14/(226)]

Foot note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 notification No. 2-15015/30/2010 dated 1st August, 2011 and lastly amended vide notification No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.